



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21927 सन् 2026

राजीव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	शिव सागर सिंह
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 0513/2024 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत, थाना- कासगंज, जिला- कासगंज में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है, और इसका आधार केवल गैंग चार्ट में उल्लिखित एक ही प्रकरण है। आवेदक उस प्रकरण में बरी हो चुका है। गैंग चार्ट में आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं दिखाया गया है। आवेदक 02.08.2024 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को गलत नहीं ठहरा पाए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस प्रकरण में कोई निर्देश नहीं मिला है।

5. बताया गया है कि आवेदक 02.08.2024 से जेल में है। आवेदक की हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता से निर्देशों का और इंतज़ार किए बिना, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर ज़मानत प्रार्थना पत्र पर फैसला करने का निर्णय लिया है। गैंग चार्ट को देखने से पता चलता है कि आवेदक को एक गैंग लीडर के तौर पर दिखाया गया है, जिसके नाम पर एक बेस केस दर्ज है; और आवेदक के खिलाफ दर्ज कुल आपराधिक प्रकरणों के कॉलम में भी सिर्फ एक ही प्रकरण दिखाया गया है। बताया गया है कि आवेदक को उस बेस केस में बरी कर दिया गया था और बरी करने का फैसला अनुलग्नक संख्या 4' के तौर पर संलग्न किया गया है। इससे पता चलता है कि आवेदक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय संख्या 1, कासगंज द्वारा एस.टी. संख्या 371 वर्ष 2024 में पारित दिनांक 16.06.2026 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

7. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अभियुक्त-आवेदक- राजीव को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. उपरोक्त टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ऐमन